

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-उत्तरकाशी के विकास
चिन्थालीसौड़ के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य 9.00 किमी० लम्बाई के स
पर मार्ग निर्माण से इस ग्राम सभा/आम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।



ना का ना

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्मालीसी के
बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7
152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कसलाना

तहसील-----, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बनगांव-चापड़ा-कसलाना परियोजना के निर्माण हेतु (3.105 हे० आरक्षित वन
भूमि, 0.63 हे० सिविल सोयम भूमि, X हे०, वन पंचायत भूमि --X-- हे०) अर्थात् कुल 3.735 हे० वन भूमि का
चिन्मालीसी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया
गया ।

प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कसलाना द्वारा दिनांक 3.5.12 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता
एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
नियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा
नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
// कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत
अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कसलाना के
वासियों को उक्त वन भूमि 3.735 हे० चिन्मालीसी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं
है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम पंचायत कसलाना द्वारा
ग्राम पंचायत सचिव कसलाना
आदिवासी अधिकारी

